

11.10.2024

पञ्जावली प्रशासन गांवों के तहत अधिपान के रूप
माल का खेड़ा में पेश हुई। अधिवक्ता वकील
एवं पैरीकार सल्लाह इपास्त्रि। अधिवक्ता
शर्मा ने पञ्जावली में Not Press किया।
पञ्जावली में अब कोई कार्यवाही या अनुलोप
नहीं चाहते। अतः शर्मा पत्र अन्तर्गत
धारा 212 राजस्वानु कार्तकाली अधिपान
इसी स्टैज पर खालीज किया जाता है पञ्जावली
कैसल सुमाट होकर नम्बर ले कम हो

Not Press
~~_____~~

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़